

1/2025

पत्रावली पेश हुई। वारी व वकील वारी उप.
नहीं। वारी व वकील वारी को बार-बार
आवाज लगावने के बावजूद कोई उप.
नहीं। अतः हावा वारीगत काम हाजरी
काम परवी में खारिज किया जाता

है।
पत्रावली प्रमाण सुमाए होकर
नहीं ले सकेंगे की जाऊ
सारिज करार है।

